मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव **14 अगस्त 2025** को मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त के रूप में 17,500 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे।

- मार्च 2025 तक इस योजना के तहत **83 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 17,500 करोड़ रुपए प्रदान किये जा चुके थे,** जिससे राज्य के कृषक समुदाय को सहायता मिली।

मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में

- **परिचय**
  - सितंबर 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - **मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना** को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अतिरिक्त, सालाना 6,000 रुपए और प्रदान करके छोटे एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिये तैयार किया गया है।
    - यह लाभ **2,000 रुपए की तीन किस्तों में** दिया जाता है।
- **पात्रता मापदंड:**
  - किसानों को **PM किसान सम्मान निधि योजना** (अनिवार्य ई-KYC) के तहत पंजीकृत होना चाहिये।
  - आवेदक **मध्य प्रदेश** का **स्थायी निवासी** होना चाहिये।
  - किसान के पास **कृषि योग्य भूमि होनी चाहिये** जहाँ वह कृषि कार्य कर सके।
  - **अपात्र किसानों** में **आयकरदाता**, **निर्वाचित प्रतिनिधि** और **सरकारी कर्मचारी** शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

- **शुरुआत:** दिसंबर 2018
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना (100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा)
- **उद्देश्य:** पूरे भारत में भूमि-धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- **सहायता राशि:** प्रतिवर्ष 6,000 रुपए (2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में)
- **भुगतान:** 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आधार-आधारित सत्यापन और वास्तविक समय भुगतान निगरानी के माध्यम से
- **पात्रता:** सभी भूमि-धारक किसान परिवार (कुछ अपवादों के साथ)
- **लाभार्थी पहचान:** दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा
- **क्रियान्वयन एजेंसी:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

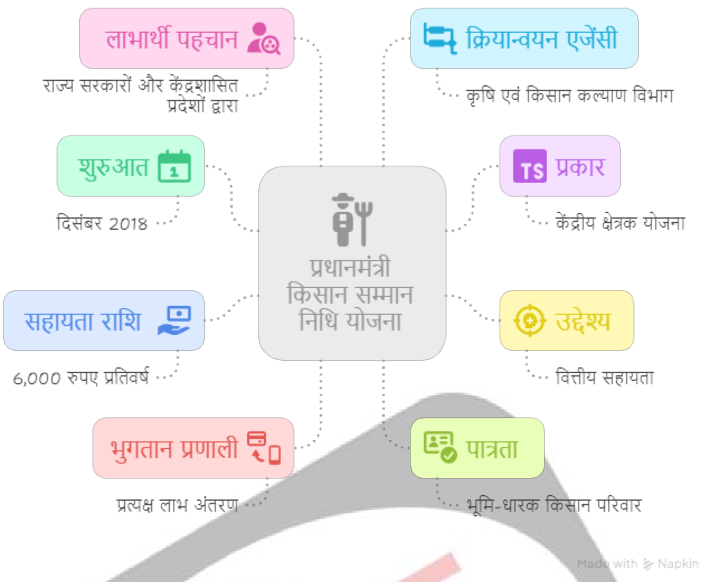

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mps-cm-kisan-kalyan-yojana